संख्या– 03 प0आ0/2004–05 पर्य0/97

प्रेषक,

आनन्द वर्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 13 फरवरी, 2004

विषय–वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अन्तर्गत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्रांक–393/2–7–364/2003 दिनांक 3 नवम्बर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में केन्द्र वित्त पोषित योजनाओं हेतु केन्द्रांश के रूप में संलग्न विवरणनुसार 11 योजनाओं हेतु रू0 38.442 एवं राज्यांश रू0 18.79 लाख अर्थात कुल रूपये 57.232 लाख (रूपये सत्तावन लाख तेईस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु पूर्ण रूप से सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

10– निर्माण सामाग्री के प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय। निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जाये याजनायें जितनी प्रतिशत केन्द्र पोषित हैं उनमें उतना प्रतिशत केन्द्रांश प्राप्त होने पर ही इनका कोषागार से आहरण किया जायेगा।

12– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशी से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनॉक 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण शान को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 31–3–2004 तक शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

14– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण– 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

13– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–2645/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 30 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द वर्धन)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–05 पर्य0/97, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली/टिहरी/उत्तरकाशी/नैनीताल/पिथौरागढ़
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून/ चमोली/ टिहरी/ उत्तरकाशी/ नैनीताल/ पिथौरागढ़।
6– प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
7– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
9– वित्त अनुभाग–3।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

12/02

(आनन्द वर्धन)
अपर सचिव।

शासनदेश संख्या–03 प0310/2004–5पर्य0/97–02 दिनांक 13 जनवरी 2004 का संलग्नक

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष2003–04 में स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)			निर्माण इकाई
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1–	पर्यटक आवास गृह तल्लीताल, मल्लीताल एवं चौकोडी में जनरेटर क्रय	2.50	–	2.50	कुमायूँ मण्डल विकास निगम
2–	छिपलाकेट एवं पंचेश्वर में एफआरपी हटस् का निमार्ण	5.94	5.00	10.94	कुमायूँ मण्डल विकास निगम
3–	पाताल भुवनेश्वर गुफा का सौन्दर्यीकरण	2.50	–	2.50	कुमायूँ मण्डल विकास निगम
4–	कैलाश मानसरोवर सोलर लाईटेन का निमार्ण	2.80	–	2.80	कुमायूँ मण्डल विकास निगम
5–	कुमायू पिथौरागढ़ में ट्रेकिंग उपकरण का निमार्ण	10.75	9.77	20.52	कुमायूँ मण्डल विकास निगम
6–	मार्गीय सुविधा रामगढ़	1.77	–	1.77	कुमायूँ मण्डल विकास निगम
7–	नोडल तीर्थ केन्द्र अगस्तमुनि	5.36	4.02	9.38	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
8–	मार्गीय सुविधा चिन्यालिसौड	0.77	–	0.77	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
9–	पर्यटक आवास गृह देवप्रयाग में डायनिंग हाल का निर्माण	0.43	–	0.43	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
10–	नोडल तीर्थ केन्द्र हेलंग	1.872	–	1.872	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
11–	गढ़वाल मण्डल विकास निगम मुख्यालय का कम्प्यूटराईजेसन	3.75	–	3.75	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
	कुल योग	38.442	18.79	57.232	

(कुल रूपये सत्तावन लाख तेईस हजार दो सौ मात्र)

13/02

(आनन्द वर्धन)

अपर सचिव